झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–6/2024 का०–1391/राँची, दिनांक 07 मार्च, 2025

श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झा0प्र0से0 (षष्ठम बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआटांड़, लातेहार के पत्नी की आत्महत्या मामले में दिनांक 28.02.2024 को गिरफ्तार किये जाने संबंधी सूचना उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–104/स्था0, दिनांक 01.03.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

इसी क्रम में, श्री गुप्ता द्वारा विभाग में आवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि कोतवाली थाना, राँची वाद संख्या–65/2024 के आलोक में उन्हें दिनांक 28.02.2024 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–XV के न्यायालय वाद संख्या–B.P./ 0000392/2024 में पारित आदेश के आलोक में दिनांक 20.04.2024 को जमानत पर रिहा होने के पश्चात् दिनांक 22.04.2024 को विभाग में योगदान दे रहे हैं।

उक्त आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–25853, दिनांक 24.06.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(2)(क) के तहत् श्री गुप्ता को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 28.02.2024 से निलंबित करते हुए हिरासत से मुक्त के उपरांत उक्त नियमावली के नियम–9(3)(i) के तहत् योगदान देने की तिथि दिनांक 22.04.2024 से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए नियम–9(1)(ग) के तहत् योगदान की तिथि 22.04.2024 से अगले आदेश तक इनको निलंबित किया गया।

श्री गुप्ता द्वारा समर्पित आवेदन के समीक्षोपरांत अधिसूचना सं0–27363(HRMS), दिनांक 18.09.2024 द्वारा श्री गुप्ता को निलंबन मुक्त किया गया।

संबंधित मामले में विभागीय पत्रांक–4133, दिनांक 24.06.2024 एवं स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, लातेहार से श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय परिपत्र सं0–8000, दिनांक 02.09.2015 में निहित दिशा–निर्देश के अनुरूप आरोप पत्र की माँग की गई।

उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक–494/स्था0, दिनांक 19.12.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआटांड़, लातेहार की पत्नी की आत्महत्या का मामला राँची जिला से संबंधित है। उनसे संबंधित कोई साक्ष्य कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही इनके विरूद्ध कोई मामला प्रतिवेदित है।

उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त पत्र एवं मामले की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री गुप्ता से संबंधित यह मामला पूर्णत निजी प्रकृति का है। श्री गुप्ता तथा कांड के सूचक के बीच सुलहनामा हो चुका है। सुलहनाम के उक्त आधार पर ही इन्हें न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है। सूचक के द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि उक्त वाद गलतफहमी तथा क्षणिक आवेश में आकर दर्ज किया गया था। सूचक को श्री गुप्ता से कोई शिकायत नहीं है तथा वे इस वाद के साथ आगे नहीं बढ़ना चहते हैं। साथ ही, उपायुक्त,

लातेहार द्वारा भी प्रतिवेदित है कि श्री गुप्ता से संबंधित कोई साक्ष्य उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और न ही इनके विरूद्ध कोई मामला प्रतिवेदित है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआटांड़, लातेहार से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

07/03/25

(अनल प्रतीक मिंज)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–6/2024 का०– 1891 /राँची, दिनांक 07 मार्च, 2025

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/उपायुक्त, लातेहार/उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–2/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी पी०एम०यू० कोषांग/विभागीय उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3(आरोप)/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–3(चारित्री)/श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (षष्ठम बैच), कार्यपालक दण्डाधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/25

सरकार के संयुक्त सचिव।